दैनिक जागरण

पाप मूलत: ईश्वर से विमुख होना है

विनम्र स्वीकारोक्ति का अनोखा उदाहरण

अद्वैता काला

अयोध्या फैसले को विभिन्न पक्षों ने जिस मर्यादा के साथ स्वीकार किया वह लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों में उनकी अगाध आस्था को ही दर्शाता है

अयोध्या पर आए निर्णय को न्यायिक नीतिशास्त्र के उच्च प्रतिमान की उपमा दी जा सकती है, मगर वास्तव में यह उससे भी कहीं बढ़कर है। दिसंबर 1992 की घटना के बाद राम जन्मभूमि विवाद में देश की एक पूरी पीढ़ी जवान हो गई। इस दौरान विमर्श की दुनिया में वामपंथियों का दबदबा रहा। उन्होंने आस्था पर सवाल उठाए और समुदायों को एक-दूसरे के खिलाफ भड़काकर अपना हित साधते रहे। लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि इस मुश्किल मुद्दे पर समाधान की दिशा में बढ़ने पर कोई हिंसक प्रतिक्रिया हो सकती है, किंतु अयोध्या पर आए फैसले को विभिन्न पक्षों ने जिस विनम्रता एवं मर्यादा के साथ स्वीकार किया वह हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों में अगाध आस्था एवं उनकी सफलता को ही दर्शाता है।

अयोध्या फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उचित ही कहा कि यह बर्लिन की दीवार गिरने जैसा है। यह उल्लेखनीय है कि भारत में दो समुदायों के बीच लंबे अर्से से बनी यह दीवार उनके कार्यकाल में ही ध्वस्त हुई। भविष्य में इसे उनकी सबसे महान उपलब्धियों में गिना जाएगा। मुस्लिम समुदाय ने जिस सम्मान भाव के साथ इस निर्णय को स्वीकारा उससे उन निहित स्वार्थी तत्वों को गहरा आघात लगा है जो इसे लेकर तमाम तरह की आशंकाओं से उन्हें भयाक्रांत करने में जुटे थे। साक्ष्यों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्ध किया कि किसी भी दावे का निपटारा विशुद्ध रूप से तथ्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इसका निर्धारण कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा थोपी गई सांप्रदायिकता या बहुसंख्यक भावनाओं से नहीं होता। वास्तव में यह भारत की जनता और संविधान की शुचिता के लिए एक बहुत बड़ी जीत है।

अयोध्या स्थित राम जन्म स्थान सदियों से हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक रहा है। अयोध्या में और भी मस्जिदें हैं। यहां हिंदू और मुस्लिम शांति एवं सद्भाव के साथ रहते आए हैं, मगर विवाद केवल एक स्थान-राम जन्म स्थान को लेकर ही था। शीर्ष अदालत ने अपने निर्णय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआइ द्वारा किए गए उत्खनन का भी संज्ञान लिया। फैसले के अनुसार एएसआइ के उत्खनन से मिले साक्ष्यों से स्थापित होता है कि विवादित ढांचे के नीचे हिंदू मंदिर से जुड़े तमाम प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुए। वामपंथी इतिहासकारों और मीडिया के एक बड़े हिस्से ने उत्खनन के इन निष्कर्षों को खारिज करने का प्रयास किया। एक वरिष्ठ पत्रकार ने इससे जुड़ा एक वाकया याद किया। उन्होंने वर्ष 2003 में इन साक्ष्यों पर आधारित एक आलेख लिखा था। इसके छपने के बाद उनकी लानत-मलानत के लिए एक मुहिम चलाई गई। यह स्थिति तब थी जब आलेख में उन्होंने सिर्फ तथ्यों का उल्लेख किया था। उसमें उनकी अपनी कोई टिप्पणी या विचार नहीं थे। आप समझ सकते हैं कि विमर्श की धारा को किस किस्म के लोगों ने बंधक बनाया हुआ था। उत्खनन के निष्कर्षों को उन्होंने सार्वजनिक दायरे में नहीं आने दिया और उसकी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं उत्खनन प्रक्रिया से जुड़े एएसआइ के केके मुहम्मद जैसे अधिकारी पर अनावश्यक दबाव डाला गया। उनकी प्रतिष्ठा तार-तार करने के प्रयास हुए और उन्हें धमकियां भी दी गईं। इसके पीछे आखिर क्या मंशा थी? इसके पीछे इसी बात का डर था कि किसी भी मजहब का कोई भी समझदार व्यक्ति उत्खनन से मिले साक्ष्यों से यही समझेगा कि बाबर द्वारा हिंदुओं के अधिकारों का दमन करके एक ढांचे को खड़ा कराया गया। यह केवल हिंदुओं का उत्पीड़न ही नहीं, बल्कि गैर-इस्लामिक दुष्कृत्य भी था, क्योंकि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं, अपितु जबरन कब्जा करके बनाई गई।

अवधेश राजपूत

अयोध्या में उत्खनन से मिले साक्ष्य वैज्ञानिक भी थे और पुष्ट होने के साथ ही सभी तरह के संदेह का निवारण करने वाले भी, फिर भी उन्हें महत्व देने और समाधान तक पहुंचने से बचा गया। सभी पंथों के अनुयायी यह तो समझेंगे ही कि जन्म स्थान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जब मक्का और बेथलहम में ऐसा नहीं हो सकता तो अयोध्या में कैसे हो सकता है? इसके बाद भी समाधान में बाधाएं खड़ी की गईं। इसके चलते दोनों समुदाय नकारात्मकता के बंधक में बंध गए। यह विवाद लंबा खिंचा। अयोध्या फैसले के पहले सभी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करने की बात कही। फैसले वाले दिन मैंने सारा दिन एक टीवी चैनल पर एक मौलाना साहब और पंडित जी के साथ बहस में व्यतीत किया जिनके साथ पहले भी अयोध्या मसले और अन्य मुद्दों पर जोरदार बहस कर चुकी हूं। उस दिन उनके बीच फैसले के पहले भी और बाद में भी सद्भाव दिखा। उन्हें इस तरह देखना सुखद भी था और राहतकारी भी। खास बात यह थी कि दोनों एक-दूसरे को सुन रहे थे। दिन भर की बहस के बाद जब मैंने मौलाना साहब से पूछा आप कब निकल रहे हैं तो उन्होंने पंडित जी से मुखातिब होते हुए यही सवाल उनसे भी किया। यह अद्भुत क्षण था। क्या यह एक नई शुरुआत थी?

अयोध्या फैसला 490 साल पुराने विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करने वाला रहा। उच्चतम न्यायालय ने 1992 में विवादित ढांचे के ध्वंस को माना और सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने को कहा, जिसने फैसले को चुनौती न देने की बात कही। हिंदू पक्ष ने हिंदुओं के लिए पावन समझे जाने वाले जन्म स्थान को हासिल किया। उनका विश्वास है कि यहीं पर जन्में राम ठुमक-ठुमक चले और फिर अयोध्या नरेश बने। अयोध्या जाने वाले लोग राम लला को वनवास जैसी स्थिति में देखकर दुखी होते थे। इसका कारण यही था कि निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से खोजे गए सत्य की अनदेखी की गई और उसे दबाया गया। इस मौके पर हमें सेक्युलरिज्म की उस परिभाषा को भी देखना-समझना होगा जिसके तहत संकीर्ण स्वार्थों के चलते एक जायज मांग को सांप्रदायिक कहा गया और वह भी इसलिए कि उसे हिंदुओं ने उठाया। इस रवैये ने लोगों में नकारात्मकता और विभाजनकारी भावना फैलाई। अब जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने साक्ष्यों का परीक्षण कर यह पाया कि अयोध्या की जमीन पर हिंदुओं का दावा वैध था तब फिर समझदारी इसी में है कि इस मसले को तथ्यों की निगाह से देखा जाए, न कि हिंदू विरोधी वामपंथियों की नजर से। हिंदू द्वेषी होना सेक्युलरिज्म नहीं है। वास्तव में यह एक समुदाय के नाम पर दूसरे समुदाय की भावनाओं की खतरनाक अनदेखी है। अब समय इसी बात का है कि आम भारतीय सामंजस्य की भावना को बल दें।

(स्तंभकार पटकथा लेखिका एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

झूठ की राजनीति बेनकाब

राफेल सौदे की जांच की मांग करने वाली पुनर्विचार याचिका खारिज कर उच्चतम न्यायालय ने इस सौदे में बोफोर्स सौदे जैसा कुछ खोज निकालने के शातिर इरादों पर तो पानी फेरा ही, छल-कपट की राजनीति को भी बेनकाब किया। यदि उच्चतम न्यायालय ने इस सौदे में संदेह करने का कोई कारण नहीं पाया तो इसका मतलब यही है कि जो लोग इस सौदे को संदिग्ध बताने पर तुले थे वे सरकार को बदनाम करने का सुनियोजित अभियान चला रहे थे। हालांकि इस अभियान के अगुआ राहुल गांधी और उनके साथियों के पास राफेल सौदे में गड़बड़ी का कोई प्रमाण नहीं था, फिर भी वे प्रधानमंत्री को चोर बताने में लगे हुए थे। राहुल गांधी की ओर से उछाला गया चौकीदार चोर है का नारा महज खिसियाहट भरी अभद्र राजनीति का ही परिचायक नहीं था, बल्कि इसका भी प्रमाण था कि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। राहुल गांधी ने केवल प्रधानमंत्री के खिलाफ ही अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि फ्रांस के साथ राजनयिक संबंधों को भी चोट पहुंचाई। क्या इससे गैर जिम्मेदाराना राजनीति और कोई हो सकती है? राहुल गांधी खुद को सही साबित करने के लिए किस तरह छल का सहारा लेने में लगे हुए थे, इसका पता इससे चलता है कि वह यह प्रचारित करने में भी जुटे थे कि उच्चतम न्यायालय यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने चोरी की है। भले ही इस सियासी शरारत के लिए उच्चतम न्यायालय ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जरूरत न समझी हो, लेकिन आखिर वह उस जनता का सामना कैसे करेंगे जिसके समक्ष वह राफेल सौदे में गड़बड़ी के हास्यास्पद और मिथ्या दावे किया करते थे?

यह लज्जाजनक है कि राफेल सौदे पर सस्ती और एक तरह से देशघाती राजनीति तब की गई जब संप्रग सरकार के नाकारापन के कारण भारतीय वायु सेना युद्धक विमानों के अभाव से बुरी तरह जूझ रही थी। आखिर किन संकीर्ण स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय हितों की जानबूझकर अनदेखी की गई? यह आपराधिक किस्म की राजनीति थी। ऐसी ही हरकतों से राजनीति बदनाम होती है। अफसोस केवल यह नहीं कि बिना किसी सुबूत राहुल गांधी झूठ का पहाड़ खड़ा करने में लगे हुए थे, बल्कि इस पर भी है कि प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने उनकी झूठ की राजनीति में सहभागी बनना बेहतर समझा। समझना कठिन है कि जब उनके पास ऐसे कोई तथ्य थे ही नहीं जो राफेल सौदे में गड़बड़ी को इंगित करते तब फिर वे क्या हासिल करने के लिए एक जरूरी रक्षा सौदे को संदिग्ध बता रहे थे? आखिर इससे उन्हें अपयश के अलावा और क्या मिला?

डेंगू पर सियासत

पिछले कुछ माह में बंगाल और खासकर कोलकाता एवं आसपास के क्षेत्रों में डेंगू से लोगों की लगातार मौत होने की खबरें आ रही है। हजारों की संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हैं। इन सबके बीच दो दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासन से डेंगू पर रिपोर्ट तलब किया है। इन सबके बीच भाजपा ने कोलकाता नगर निगम अभियान के जरिए डेंगू को सियासी मुद्दा बना कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को घेरने के प्रयास में है। इस अभियान के दौरान भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का पुलिस के साथ जमकर हाथापाई हुई। पुलिस ने पानी के बौछार के साथ-साथ लाठीचार्ज भी किया जिसमें कई भाजपा समर्थकों को चोट भी लगी। दर्जनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया, परंतु इस अभियान को लेकर भाजपा एवं तृणमूल के बीच सियासत भी खूब होने लगी। कोलकाता नगर निगम के मेयर एवं शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने भाजपा के इस अभियान को लेकर कहा कि असल में डेंगू भाजपा नेताओं के दिमाग में हो गया है। वहीं भाजपा नेता भी पीछे नहीं रहे और जमकर हल्ला बोला। यही नहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला भी फूंका। भाजपा का आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से 'कोलकाता कॉरपोरेशन चलो' अभियान चल रहा था, लेकिन पुलिस ने क्रूरता से बल प्रयोग किया। कार्यकर्ताओं को खदेड़ कर पीटा गया। भाजपा का कहना है कि महानगर की सिर्फ डेंगू समस्या नहीं है, बल्कि गंदगी, तारों के मकड़जाल, अवैध पार्किंग बड़ी परेशानी है। असल में भाजपा ने यह अभियान आगामी वर्ष होने वाले निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर किया था। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरह का कई और आंदोलन हो सकता है। डेंगू तो सिर्फ सियासत के लिए बहाना है। हालांकि भाजपा नेता मुकुल रॉय ने पार्टी कार्यकताओं पर लाठीचार्ज को शर्मनाक करार दिया। उन्होंने पुलिस पर सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब पुलिसकर्मी तृणमूल कार्यकर्ताओं की तरह बर्ताव करते हैं तो वे तृणमूल का झंडा क्यों नहीं उठा लेते हैं? विरोध जुलूस में शामिल भाजपा नेत्री रिमझिम मित्रा ने पुरुष पुलिस पर महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करने का अरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास इस कार्यक्रम की पहले से अनुमति थी। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन चल रहा था। हालांकि पुलिस ने आरोप को खारिज कर दिया है, परंतु एक सवाल यह उठता है कि क्या विरोध प्रदर्शन से डेंगू पर लगाम लग जाएगा? इसके लिए आवश्यक है कि सभी लोग मिलकर डेंगू रोकने के लिए प्रयास करें।

मंदिर आंदोलन के अहम सूत्रधार

केशव प्रसाद मौर्य

अशोक सिंहल ने लोगों को रामजन्मभूमि आंदोलन से जोड़ा, जो राष्ट्रीय भावनाओं के प्रकटीकरण का साक्षी भी बना

श्रीरामजन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का इतिहास अशोक सिंहल के स्मरण के बिना अधूरा है। अशोक जी भले ही परंपरागत रूप से संत न हों, लेकिन उनका जीवन किसी मायने में संत से कम नहीं। एक ऐसा संत जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था अयोध्या में रामजन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर निर्माण करना। इसके लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। सनातन धर्म में उनकी आस्था शंकराचार्य की तरह और दुनिया भर में हिंदू धर्म का प्रचार-प्रसार करने की उनकी मंशा स्वामी विवेकानंद जैसी थी। हिंदू समाज को सशक्त और सामर्थ्यवान बनाने तथा एकजुट रखने के लिए वह जीवनपर्यंत सक्रिय रहे। इसके लिए वह अनगिनत मठों, मंदिरों और आश्रमों में गए। उन्होंने केवल देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में घूम-घूमकर हिंदुत्व को एक नई पहचान दी और उसका गौरव जगाया। अपने नाम को सार्थक करने वाले अशोक जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद नौकरी के फेर में नहीं पड़े। काशी के बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद स्वरूप शायद उनके हाथों से भगवान श्रीराम का वह अद्भुत कार्य होना था जो इतिहास में अमिट रूप से दर्ज हो गया। इसका माध्यम बना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके आजीवन पूर्णकालिक प्रचारक बनकर उन्होंने समाज सेवा का व्रत लिया। उन्होंने लाखों लोगों को रामजन्मभूमि आंदोलन से जोड़ा जो राष्ट्रीय भावनाओं के प्रकटीकरण का भी साक्षी बना।

इंदिरा गांधी के निरंकुश आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष करने वाले अशोक सिंहल जी 1981 में डॉ. कर्ण सिंह के नेतृत्व में होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन के सूत्रधार भी थे। इसके उपरांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें विश्व हिंदू परिषद के कार्य में लगा दिया। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन हुआ। अशोक जी उसके संचालक थे। यहीं से रामजन्मभूमि आंदोलन का श्रीगणेश हुआ। जो भी व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ा वह रामजन्मभूमि के इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना बन गया। इस आंदोलन के दौरान उनकी सभाओं में हिंदुत्व को जगाने वाली उनकी सिंह सरीखी आवाज जिसके कानों में पड़ती उसके पैर वहीं ठहर जाते। उनकी अगुआई में लाखों कारसेवकों ने देश की तमाम पवित्र नदियों के तटों पर राम मंदिर की स्थापना के लिए शपथ ली। उनके एक आह्वान पर लाखों लोग हुंकार भरने के लिए तैयार हो जाते थे। अशोक जी करीब 20 वर्षों तक विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। यह कहने में हर्ज नहीं कि उन्होंने अपनी सोच से देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा ही बदल दी। यह उनकी जीवटता की एक अनोखी मिसाल थी कि 1984 के बाद रामजन्मभूमि को लेकर उनके सतत प्रयासों के कारण ही केवल दो साल बाद 1986 में रामजन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश हो गया। इसी के साथ वहां निर्बाध रूप से दर्शन-पूजन होने लगा। इसके बाद 1989 में पूज्य देवरहा बाबा की मौजूदगी में शिलान्यास पूजन का निर्णय लिया गया और लाखों कारसेवक अयोध्या की ओर कूच कर गए। उसी वर्ष 9 नवंबर को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। इसके साथ ही एलान हुआ कि 30 अक्टूबर 1990 को जन्मभूमि की मुक्ति के लिए कारसेवा होगी, लेकिन तब अयोध्या को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने छावनी में तब्दील कर दिया। मुलायम सिंह ने यह एलान भी कर दिया कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन अशोक जी वहां पहुंचकर ही माने। उनके साथ लाखों लोग भी पहुंचे। इसके दिन दो बाद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। पुलिस लाठी चार्ज में अशोक जी भी घायल हुए, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। उलटे इस घटना ने उनमें और उत्साह भर दिया। इस घटना के बाद उनके नेतृत्व में 4 अप्रैल, 1991 को दिल्ली के बोट क्लब पर आजादी के बाद अब तक की सबसे विशाल रैली हुई जिसमें तकरीबन 25 लाख लोग जुटे। अशोक जी की यह क्षमता देखकर देश की राजनीति में भूचाल सा आ गया। इसका एक परिणाम यह हुआ कि मुलायम सिंह सरकार घुटनों के बल आ गई और अशोक जी देश के मानस पटल पर छा गए। वह देश की राजनीति को प्रभावित करने लगे, जबकि वह सक्रिय राजनीति में नहीं थे।

अशोक जी के पहले हिंदू समाज ने संतों और राजाओं के नेतृत्व में रामजन्मभूमि की मुक्ति के लिए कई बार संघर्ष और आंदोलन किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। अशोक जी ने उनके सफल न होने के कारणों का बारीकी से अध्ययन किया। वह सबसे पहले हिंदू समाज को एक धारा में लाए। उन्होंने संतों और महात्माओं का आशीर्वाद लिया और धर्म संसद का आयोजन किया। उन्होंने अपनी व्यूह रचना से एक असंभव कार्य को संभव करके दिखा दिया। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहने के बाद उन्होंने रामजन्मभूमि स्थल पर रामलला का भव्य मंदिर का नक्शा बनवाया जो प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल है। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए श्री रामजन्मभूमि न्यास का गठन भी कराया। संतों और महात्मा की नजरों में अशोक जी स्वयं एक संत हो गए थे।

अशोक जी अत्यंत दूरदर्शी थे। वह समय की आहट को बखूबी पहचान लेते थे। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वह राम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध रहे। 2013 में प्रयाग कुंभ की धर्म संसद में उन्होंने घोषणा की थी कि जब नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तभी अयोध्या में राम जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण का कार्य प्रशस्त होगा। जब मई 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो अशोक जी ने कहा था कि 800 साल बाद कोई हिंदू शासक आया है और अब कोई ताकत राम मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकती, मगर 17 नवंबर 2015 को उनका देहावसान हो गया। उनकी स्मृति हम सबके मानस पटल पर अटल है जो हरेक पल उनकी जीवंतता और उपस्थिति का अहसास कराती है। उनकी यह स्मृति राम मंदिर के प्रति हमारे संकल्प का भी स्मरण कराती है।

(लेखक उत्तर प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रभावी उद्बोधन

भले इंसान बनने, मूल्यवान जीवन जीने, परपीड़ा नहीं करने, सदाचारी बनने आदि के उपदेश प्राय: एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। माता-पिता संतानों को इस तरह के उपदेश दे रहे हैं, शिक्षक छात्र को दे रहे हैं, वक्ता श्रोताओं को दे रहे हैं, कार्यालयों में उच्च पदस्थ अधीनस्थों से ईमानदारी की अपेक्षा कर रहे हैं। शासकवर्ग जनता को आदर्श समाज बनाने का उद्बोधन करते रहते हैं। जहां तहां इस तरह के उपदेश देने और उसको सुनते लोग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उपदेश देने वाले की वाणी में ओज का अभाव दिख रहा है। ज्यादातर उपदेशक अपना दोष छिपाने के लिए उपदेश लेने वालों के सिर पर ठीकरा फोड़ते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं कि 'अब बात मानने वाले पहले जैसे लोग नहीं रह गए।' जबकि हकीकत तो यह है कि वक्ता जब खुद आदर्शयुक्त जीवन नहीं जीएगा तो उसकी जिह्वा से निकले शब्दों में प्रभाव डालने की क्षमता नहीं रहेगी।

महिला अपने पुत्र को लेकर गांधी जी के पास गई और शिकायत की कि उसका बेटा गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी ने उसे चार दिन बाद बुलाया और बेटे से कहा-ज्यादा गुड़ मत खाया करो। महिला बोली-बापू, सिर्फ यही कहना था तो पहले ही दिन क्यों नहीं कह दिया? गांधी जी बोले-उस दिन तक मैं भी गुड़ बहुत खाता था। चार दिन से गुड़ खाना कम कर दिया। जो बुरी आदतें मुझ में रहेंगी, उसका असर दूसरे पर नहीं पड़ता, इसलिए पहले जब खुद मैंने गुड़ खाना कम किया तब बेटे से कहना उचित समझा।

इससे स्पष्ट है कि जब उपदेश देने वाले के जीवन में द्वंद्व होगा तो उसका असर जल्दी नहीं पड़ेगा। अंतर्मन से आदर्श व्यक्ति की वाणी ही नहीं, उसकी दृष्टि, उसके स्पर्श तक में वह क्षमता रहती है कि वह किसी के मनोभावों को बदल दे। अत: व्यक्ति यह चाहता हो कि वह जैसा चाहे घर, परिवार, समाज, दफ्तर तदनुकूल रहे तो उसे खुद अपने तेज को विकसित करना होगा। नकारात्मकता को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे व्यक्ति के तेज, आभामंडल का ह्रास होता है।

सलिल पांडेय

सुरक्षित बचपन का सपना

देवेंद्रराज सुथार

जिस देश के बच्चे वर्तमान में जितने महफूज एवं सुविधा-संपन्न होंगे, जाहिर है कि उस देश का भविष्य भी उतना ही उज्ज्वल होगा

भारत में आज लाखों बच्चे बाल मजदूरी में संलग्न हैं। देश की सड़कों पर आए दिन कोई न कोई बच्चा फटे कपड़ों में भीख मांगता, 26 जनवरी एवं 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर झंडे बेचता और ट्रैफिक सिग्नल पर सलाम करता मिल ही जाएगा। यूनिसेफ ने तो इन बच्चों को स्ट्रीट चिल्ड्रन के नाम पर दो भागों में वर्गीकृत किया है। एक तो वे बच्चे जो सड़कों पर भीख मांगते हैं और दूसरे वे जो सामान बेचते हैं। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग एक करोड़ बच्चे सड़कों पर रहते हैं और काम करते हैं।

ऐसे में जिस देश के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उस देश के विकसित होने का सपना देखना बेमानी ही होगा। हालांकि देश में सर्वशिक्षा अभियान के तहत हर बच्चे को शिक्षा देने का दावा सरकार करती है, लेकिन सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता न के बराबर है। यही कारण है कि सरकारी स्कूल के बच्चों एवं निजी स्कूलों के बच्चों की शिक्षा के स्तर में रात-दिन का अंतर नजर आता है। सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए मिड-डे मील, निःशुल्क किताबें एवं कम फीस का ऑफर देकर सरकार केवल खानापूर्ति ही कर रही है। यह भी सच है कि आज संपन्न अभिभावक तो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज ही रहे हैं, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावक भी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनका दाखिला निजी स्कूलों में करवा रहे हैं, फिर भले ही इसके लिए उन्हें रात को भूखा ही क्यों न सोना पड़े। वहीं दूसरी ओर देश में हर दिन किसी न किसी बच्चे को यौन शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। रिपोर्ट तो यह कहती है कि हर तीन घंटे में एक बच्चे को बाल यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। सच्चाई यह भी है कि बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले अधिकतर इनके जानने वाले ही होते हैं।

हालांकि बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए सरकार ने 2012 में पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) एक्ट बनाया, लेकिन यह बेअसर साबित हो रहा है। यह भी चौंकाने वाला सच है कि देश में हर साल पांच साल से कम उम्र के 10 लाख बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं। भारत कुपोषण की श्रेणी में दक्षिण एशिया का अग्रणी देश है। भारत में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश का हाल तो और भी बुरा है। बच्चों की दुर्दशा एवं इस भयावह स्थिति को लेकर हमें सचेत होने की जरूरत है।

वहीं गृह मंत्रालय ने एक आरटीआइ के जवाब में यह साफ किया है कि देश में प्रतिवर्ष 90 हजार बच्चे गुम हो जाते हैं। एक गैर-सरकारी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार एक घंटे में करीबन 11 बच्चे लापता हो जाते हैं। लापता हुए बच्चों में से अधिकतर बच्चे शोषण के शिकार हो जाते हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे अपने घर लौट ही नहीं पाते। जाहिर है हमें इन समस्याओं को लेकर गंभीरतापूर्वक चिंतन, मनन एवं मंथन करने की आवश्यकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

1962 से पहले के नेहरू कहां हैं?

सुरेंद्र किशोर ने 'नेहरू का राष्ट्रधर्म और आज की कांग्रेस' शीर्षक आलेख में केवल 1962 से बाद के नेहरू को याद किया है। किंतु 1962 से पूर्व के नेहरू बाद के नेहरू के एकदम उलट हैं, इस बात को एकदम कैसे नजरंदाज किया जा सकता है? चीन से मिली शर्मनाक पराजय ने उन्हें हिला दिया था, यह सर्व-विदित है। किंतु उस पराजय के मूल में भी तो नेहरू ही विद्यमान हैं। 1950 से 1959 तक तिब्बत पर चीनी अतिक्रमण और चीन द्वारा भारतीय हिस्से पर किए जा रहे कब्जे को वे जानते-बूझते देश से छुपाते रहे, पर जब 1959 में भारत के 15 जवान चीनी सैनिकों द्वारा सीमा पर बर्बरता से मार दिए गए और देश को यह पता चल गया, तब उन्होंने संसद में कह दिया कि वहां घास का तिनका नहीं उगता, इसलिए वहां की रक्षा क्या करनी? कोई राष्ट्रवादी अपनी मातृभूमि के लिए ऐसे विचार व्यक्त नहीं कर सकता। नेहरू को बड़ा लोकतांत्रिक बताया जाता है। किंतु उनके समय में उनके विरोधी अखबारों को कभी विज्ञापन नहीं मिलते थे। नेहरू ने एक बार कहा था कि खुद को या अपनी सरकार को पीटने के लिए हम इन्हें लाठी (यानी विज्ञापन) नहीं दे सकते।

अजय मित्तल, मेरठ

दिल्ली में वायु प्रदूषण

दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ऑड-इवेन से कुछ प्रदूषण जरूर कम होता है और सड़कों पर जाम की समस्या से राहत मिलती है। लेकिन प्रदूषण रोकने के लिए यह बहुत कारगर नहीं है। इसके लिए कुछ और ठोस उपाय करने होंगे, अन्यथा दिल्ली रहने लायक नहीं रहेगी। इससे दूसरी समस्या भी खड़ी होती है। ऐसी स्थिति में जिनके पास पैसा है वे न चाहते हुए भी दो कार रखना चाहेंगे। ये कारें भले ही सड़क पर न उतरें, लेकिन पार्किंग वगैरह की समस्या तो पैदा करेंगी ही। सरकार को चाहिए कि यातायात के साधनों को रोकने के बजाय जनता को जागरूक करे, जिससे नौकरी पेशा लोग मिलजुलकर वाहनों का प्रयोग करें। सरकार सरकारी यातायात के साधनों की संख्या में इजाफा करे। मेट्रो और लोकल रेल यातायात को बढ़ावा दे। ट्रैफिक के नियम कड़ाई से लागू किए जाएं और अधिक पुराने वाहनों को सड़क से हटाया जाए। धुआं फैलाने वाले ट्रक और यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाना होगा और सड़क पर चलाने पर कानूनी कर्रवाई करनी होगी। एक से अधिक कारों की खरीद पर प्रत्येक परिवार पर कर लगाना चाहिए।

skcbe9@gmail.com

पराली पर अच्छी सलाह

हरियाणा में हाल में ही बनी भाजपा-जजपा सरकार पराली के अवशेषों को जलाने से बचाकर और उनका सदुपयोग करने के लिए जो सलाह दे रही है, उससे किसानों को तो फायदा होगा ही, साथ में वातावरण भी प्रदूषित हवाओं से बच जाएगा। सरकार की सलाह के अनुसार काम करने पर किसान की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही प्रदूषण को रोकने में भी मदद मिलेगी। किसानों को इसे बढ़-चढ़कर अपनाना चाहिए। योजना के मुताबिक पराली एवं गेहूं के फाने का रिफाइनरी में एथनॉल बनाने में उपयोग होगा, जो पर्यावरण हितैषी ईंधन के रूप में विकसित होगा। कृषक वर्ग को चाहिए कि वह पराली प्रबंधन की प्रोत्साहन राशि के लिए घोषणा पत्र में तो सटीक जानकारी दें, साथ ही फर्जीवाड़े से बचने एवं रिश्वतखोरी से बचने में अपना हित साधन समझें।

युगल किशोर शर्मा, खांबी, फरीदाबाद

सही सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद प्रकरण में दिए गए फैसले में 5 एकड़ भूमि मस्जिद बनाने के लिए दिए जाने का फैसला दिया है। लेकिन कुछ मुसलमान इस पर अस्पताल बनाने का सुझाव दे रहे हैं। यह भी अच्छा सुझाव है। इससे सभी धर्म के लोगों को इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

hemahariupadhyay@gmail.com

शानदार पहल

सुप्रीम कोर्ट का अपने दफ्तर को आरटीआइ के तहत लाने का निर्णय काबिले तारीफ है। यह सर्वोच्च न्यायालय की खुद के लिए एक बहुत ही शानदार पहल है। इसी प्रकार से अन्य संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए ताकि जनता के विश्वास को जीता जा सके।

cddetha@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।